

उत्तर प्रदेश शासन
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-2998/सोलह-1-2013-3(18)/2012टीसी-11
लखनऊ: दिनांक: 28 नवम्बर, 2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम-2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 2013) की धारा-1 की उपधारा-(2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल 01 दिसम्बर, 2013 को ऐसा दिनांक नियत करते हैं जब उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।


आज्ञा सं,

नारज कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या-2998(1)/सोलह-1-2013-3(18)/2012टीसी-11 दिनांक तदैव:-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- (1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
 - (2) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
 - (3) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
 - (4) कुलपति, उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
 - (5) प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
 - (6) प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
 - (7) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
 - (8) अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
 - (9) क्षेत्रीय अधिकारी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, कानपुर।
 - (10) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
 - (11) प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि इसकी प्रतियां कराकर प्रदेश के समस्त निर्जी अभियंत्रण/व्यावसायिक संस्थाओं को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
 - (12) निदेशक/प्राचार्य, स्वायत्तशासी अभियंत्रण संस्थायें, उत्तर प्रदेश।
 - (13) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

- (14) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ।
- (15) संसर्दीय कार्य अनुभाग-1, उ0प्र0 सचिवालय।
- (16) विधि परामर्शी पुस्तकालय, उ0प्र0 सचिवालय।
- (17) भाषा अनुभाग-5, उ0प्र0 सचिवालय।
- (18) विधायी अनुभाग-1, उ0प्र0 सचिवालय।
- (19) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2/3।
- (20) व्यावसायिक शिक्षा अनुभाग।
- (21) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
- (22) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (23) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ का अधिसूचना संख्या-2998/सोलह-1-2013-3(18)/2012टीसी-11, दिनांक-28 नवम्बर, 2013 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2013) (हिन्दी/अंग्रेजी) की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि इसे असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड(क) (सामान्य परिनियम नियम) से तत्काल मुद्रित कर उसकी 1000 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 30 सितम्बर, 2013

आश्विन 8, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1052/79-वि-1-13-1(क)18-2013

लखनऊ, 30 सितम्बर, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 पर दिनांक 27 सितम्बर, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2013 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2013)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबन्ध शिक्षा में अध्येयन, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी उद्भवन, उत्पादन सम्बन्धी नवाचार एवं विस्तार कार्य को सुकर बनाने एवं प्रोन्नत करने के लिए मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में पुनर्गठित करने और गोरखपुर में उसे एक गैर-सम्बद्धक अध्यापन और अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक अन्य विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

चूंकि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज उत्तर प्रदेश सरकार की एक संस्था है जो गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ से सम्बद्ध है;

और चूंकि उक्त संस्था को विश्वविद्यालय की प्रास्थिति प्रदान करना समीचीन है जिससे उसको अध्यापन और अनुसंधान केन्द्र के रूप में और अधिक दक्षतापूर्वक कार्य करने हेतु समर्थ बनाया जा सके ताकि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त विज्ञान और प्रबन्ध के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, उद्योग सुसंगत अनुसंधान और नवीनता को प्रोत्साहित किया जा सके और राष्ट्र तथा समाज की सेवा करने के लिए बेहतर कार्यक्षेत्र और अवसर का लाभ उठाया जा सके।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

No. 1052(2)/LXXIX-V-1-13-1(Ka)-18-2013

Dated Lucknow, September 30, 2013

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Madan Mohan Malviya Proudyogiki Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2013 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 2013) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 27, 2013 .

THE UTTAR PRADESH MADAN MOHAN MALAVIYA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
ACT, 2013

(U.P. ACT NO. 22 OF 2013)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for the reconstitution of the Madan Mohan Malaviya Engineering College, Gorakhpur as Madan Mohan Malaviya University of Technology and to incorporate it as a non-affiliating, teaching and research University at Gorakhpur to facilitate and promote studies, research, technology incubation, product innovation and extension work in Science, Technology and Management Education, and also to achieve excellence in higher technical education and other matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS the Madan Mohan Malaviya Engineering College is an institution of the Government of Uttar Pradesh affiliated to the Gautam Buddh Technical University, Lucknow;

AND WHEREAS it is expedient to confer on the said institution the status of a University to enable it to function more efficiently as a teaching and research centre to meet the requirement of higher education and research in the field of engineering and technology, applied sciences and management sciences, foster industry relevant research and innovation and to avail better scopes and opportunities to serve the society and the nation;

IT IS HEREBY enacted in the Sixty fourth Year of the Republic of India as follows :-

Short title and
commencement

1. (1) This Act shall be called the Uttar Pradesh Madan Mohan Malaviya University of Technology Act, 2013.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.